Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

<u>प्रथम अपील संख्या 125/2018</u>

श्री फकीर चन्द्र व्यास,
D-644 मुरलीधर व्यास नगर,,
बीकानेर–334001,(राज.)

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 30.10.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 28.11.2018

<u>निर्णय</u>

अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018) द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक F(1003)/RAJUVAS/Reg/RTI/2018/262 दिनांक 16.10.2018 द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गई व आवेदन शुल्क के रूप में रू 5/– के दो पोस्टल ऑर्डर संख्या 73c 092327 व 73 C 092169 कुल रू. 10/– रजिस्ट्रार एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत किये गये। अपीलर्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018) के क्रम में कुलसचिव एवं लोक सूचना आधिकारी के पत्रांक 262 दिनांक 16.10.2018 के द्वारा अपीलर्थी/आवेदक को नियमों से निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

श्री फकीर चन्द्र व्यास,
D-644 मुरलीधर व्यास नगर,,
बीकानेर–334001,(राज.)

विषय:–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग:–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आवेदन पत्र एव आवेदन पत्र के सलग्न शुल्क हेतु प्रेषित भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. **73C 092169** दिनांक 14.08.2018 राशि रू. 05/–, **73C 092327** दिनांक 14.09.2018 राशि रू 05/– कुल राशि रू 10/– रजिस्ट्रार एवं लोक सूचना अधिकारी,

Contd.

पशुचिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर को सम्बोधित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के नियम 6 (क) अनुसार आवेदन शुल्क की राशि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन शुल्क की राशि नकद जमा करवायी जा सकती है अथवा नियम 6 (ख) अनुसार विश्वविद्यालय के **वित्त नियंत्रक** को संदेय मांग ड्राफ्ट (Demand Draft)/भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंकर चैक प्रेषित कर शुल्क भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा परिपत्र दिनांक 20.06.2014 जारी कर कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है जिसकी फोटो प्रति पत्र के सलंग्न प्रेषित की जा रही है। परिपत्र दिनांक 20.06.2014 विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है।

तद्नुसार आप द्वारा प्रेषित मूल प्रार्थना पत्र मय भारतीय पोस्टल ऑर्डर पत्र के सलंग्न लौटाये जा रहे है। परिपत्र दिनांक 20.06.2014 में वर्णित विधिक प्रावधानों अनुसार आवेदन पत्र जो कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सम्बोधित हो एवं उपरोक्तानुसार शुल्क भिजवाने पर नियमानुसार कार्यवाही संभव होगी।

यदि आप उपरोक्त कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा औरं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।
मूल प्रार्थना पत्र एवं आई.पी.ओ.

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018) के क्रम में पत्रांक 262 दिनांक 16.10.2018 से प्रेषित प्रत्युत्तर जिसके द्वारा उनका आवेदन पत्र लौटाया गया से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक F(अ.125/18)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/270 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 28.11.2018 नियत की गयी होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलर्थी/आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 29.09.2018) के संलग्न आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर रजिस्ट्रार एवं लोक सूचना अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत किये गये है जबकि सूचना का अधिकार नियम 2012 के नियम 6 में "फीस के संदाय का ढंग" के वर्णित प्रावधानों में फीस का संदाय की उल्लेखित रीतियों मे नियम 6(ख) में लोक प्राधिकरण के **लेखा अधिकारी** को संदेय मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक या **भारतीय पोस्टल आर्डर** से फीस के संदाय का स्पष्ट प्रावधान है व अपीलार्थी द्वारा अपील में नियम 6(क) की पूर्ती कर दी गयी होने के कथन के संबंध में पक्ष रखा कि सूचना का अधिकार नियम 2012 के नियम 6(क) के अनुसार आवेदन शुल्क की राशि **नगद** जमा करवायी जाने के संबंध में प्रावधान है जबकि अपीलार्थी/आवेदक ने आवेदन शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर प्रस्तुत किये है व इस रीति से फीस भुगतान की स्थिति में नियम 6(ख) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही आवश्यक है। साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण स्पष्टता करते हुए परिपत्र दिनांक 20.06.2014 भी जारी किया गया होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही उचित है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/c Attested.

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर